

## अध्याय-॥

बिक्री एवं व्यापार पर  
कर/मूल्य वर्धित कर



## अध्याय-11

### बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

#### 2.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा उत्पाद शुल्क की व्यवस्था करता है। आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है तथा तीन अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं कराधान आयुक्त, दो संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी व पांच उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी इसके सहायक होते हैं। क्षेत्र में जिला स्तर पर 12 उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी हैं, जिन्हें 119 सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित कर कानूनों एवं नियमों की व्यवस्था हेतु विभाग की सभी गतिविधियों एवं सम्बद्ध स्टाफ की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी व सहायक राज्य आबकारी एवं कराधान अधिकारी होते हैं।

#### 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग में 88 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं। इनमें से लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 1,920.02 करोड़ की प्राप्ति वाली 35 इकाइयों का चयन किया। मूल्य वर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर, बहुउद्देशीय बैरियर एवं विलासिता कर से संबंधित कुल 55,376 मामलों में से 21,516 मामलों की नमूना जांच से 296 मामलों में ₹ 127.77 करोड़ के कर के अवनिर्धारण से संबंधित एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

		₹ करोड़ में	
क्र. स.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	कर का अवनिर्धारण	27	11.82
2	दोषपूर्ण सांविधिक फॉर्म सी, डी, एफ व आई की स्वीकृति	20	42.51
3	बिक्री/खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	23	33.92
4	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित/गलत/अधिक छूट	42	10.27
5	कर की गलत दर लागू करना	15	12.37
6	अन्य अनियमितताएं	118	15.54
<b>योग</b>		<b>245</b>	<b>126.43</b>
<b>अन्य कर एवं कर-भिन्न</b>			
1.	मनोरंजन कर	15	0.02
2.	बहुउद्देशीय बैरियर एवं विलासिता कर	36	1.32
<b>योग</b>		<b>51</b>	<b>1.34</b>
<b>सकल योग</b>		<b>296</b>	<b>127.77</b>

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

2019-20 के दौरान विभाग ने पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 156 मामलों में ₹ 96.64 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार एवं वसूल किया। विभाग ने 2019-20 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 85 मामलों में ₹ 15.55 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को भी स्वीकार किया, जिनमें से तीन मामलों में ₹ 0.72 लाख की वसूली की गई।

₹ 18.13 करोड़ की राशि के महत्वपूर्ण मामलों (आठ परिच्छेद) की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 2.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक छूट

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के अंत में शेष स्टॉक में न बिके स्थानीय खरीद पर उचित रूप से विचार नहीं किया, जो 333 व्यापारियों को ₹ 8.45 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक छूट के रूप में परिणत हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11 में प्रावधान है कि स्थानीय खरीद पर चुकाए गए इनपुट टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जाता है, परन्तु एक व्यापारी द्वारा यह दावा केवल उस स्थानीय खरीद की बिक्री के समय ही किया जा सकता है। इसलिए, यदि स्थानीय खरीद का स्टॉक नहीं बिका है, जो कर अवधि के दौरान व्यापारी के अंत स्टॉक में परिलक्षित होता है, तो न बिके अंत स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को उस कर अवधि के लिए रोक दिया जाना चाहिए एवं बाद की कर अवधि में, जब बिक्री हो जाती है, तब इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियम के नियम 23 में प्रावधान है कि जहां एक पंजीकृत व्यापारी ने खरीदे गए माल का उपयोग आंशिक रूप से कर योग्य बिक्री के लिए किया है एवं लेखाओं को बनाए रखने में असमर्थ है एवं उसके द्वारा बिक्री में कर रहित माल एवं कर योग्य माल एवं/या शाखा हस्तांतरण शामिल है, तो यह माना जायेगा कि कर अवधि के दौरान खरीदे गए सामान का उपयोग इस कर अवधि के लिए बिक्री के टर्नओवर से क्रमशः कर रहित माल, कर योग्य माल एवं शाखा हस्तांतरण के अनुपात में किया गया है एवं तदनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना एवं दावा उसी अनुपात में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी-सह-अपील प्राधिकारी ने 12 अप्रैल 2012 के एक निर्णय में स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यापारी वर्ष के दौरान की गई स्थानीय खरीद के बिना बिके स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करता है, तो धारा 19 के अंतर्गत अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ब्याज उस अवधि तक लगाना चाहिए जब स्टॉक बेचा गया था एवं उस अवधि तक नहीं जब निर्धारण किया गया था।

2017-19 के दौरान 12 उपायुक्त<sup>1</sup> राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 2009-10 से 2017-18 के मध्य की कर अवधि के लिए 333 व्यापारियों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय शेष माल पर केवल ₹ 9.11 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोका गया। लेखापरीक्षा ने गणना की कि अंत स्टॉक में बिना बिकी हुई स्थानीय खरीद के अनुपात के आधार पर, निर्धारण प्राधिकारियों को अन्त स्टॉक पर ₹ 17.56 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकना चाहिए था। इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम की धारा 11 के उल्लंघन करते हुए ₹ 8.45 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी, जिसके लिए अभिलेख में कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया गया। बिना बिके स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक छूट से भी व्यापारी अपनी कर देयता को कम से कम एक वर्ष के लिए टालने में समर्थ हुआ, जिसके कारण उक्त निर्णय के अनुसार ₹ 1.35 करोड़ की राशि का ब्याज भी उदग्रहण योग्य हुआ।

मामला मार्च 2021 में सरकार को भेजा गया था। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये थे तथा 122 मामलों में ₹ 20.32 लाख की वसूली की गई थी।

विभाग कर की उस अवधि में सरकार को देय राजस्व को सुरक्षित करने के लिए कर अवधि के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट के संबंध में प्रावधानों का सख्ती से पालन करें।

## 2.4 कर की रियायती दर की अनुचित अनुमति

*विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति को उचित तरीके से वर्गीकृत करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता के कारण कर की रियायती दर की अवैध स्वीकृति हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.83 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।*

आबकारी एवं कराधान विभाग ने अप्रैल 2013 में वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर एक व डेढ़ प्रतिशत पर कर की रियायती दर, निषेधात्मक सूची<sup>2</sup> में निदिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, जिन पर दो प्रतिशत केन्द्रिय बिक्री कर जारी रहेगा, अधिसूचित की।

चार उपायुक्तों<sup>3</sup> राज्य कर एवं आबकारी के 2017-19 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा 2019 में की गई जिसमें से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने (2018-19) में वर्ष 2013-14 से 2017-18 के 20 व्यापारियों के 36 मामलों के निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निषेधात्मक सूची में आने वाली वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर डेढ़ प्रतिशत कर की रियायती दर की अनुमति दी, जिस पर दो

<sup>1</sup> उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: 2017-18: बदी (दो मामले: 25.72 लाख), चंबा (15 मामले: ₹ 26.22 लाख), मंडी (98 मामले: ₹ 1.87 करोड़), नाहन (चार मामले: ₹ 6.48 लाख), रिकांग पियो (नौ) मामले: ₹ 15.81 लाख), शिमला (23 मामले: 50.41 लाख), सोलन (50 मामले: ₹ 98.68 लाख) व ऊना (13 मामले: ₹ 57.00 लाख)

2018-19: बदी (पांच मामले: ₹ 51.11 लाख), चंबा (छह मामले: ₹ 10.60 लाख), हमीरपुर (28 मामले: ₹ 13.92 लाख), कांगड़ा में धर्मशाला (29 मामले: ₹ 66.85 लाख), कुल्लू (दो मामले): ₹ 2.16 लाख), नाहन (10 मामले: ₹ 80.25 लाख), कांगड़ा में नूरपुर (चार मामले: ₹ 3.91 लाख), शिमला (23 मामले: ₹ 70.45 लाख) व सोलन (12 मामले: ₹ 78.20 लाख)

<sup>2</sup> उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित मदों की सूची, जिन पर दो प्रतिशत सीएसटी लगेगा।

<sup>3</sup> बदी, नाहन, नूरपुर (कांगड़ा) और सोलन।

प्रतिशत का केन्द्रीय बिक्री कर लगना चाहिए था। ₹ 565.82 करोड़ मूल्य की इन निषेधात्मक सूची की मदों पर, निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 11.32 करोड़ के दो प्रतिशत के उदग्रहण योग्य कर के स्थान पर डेढ़ प्रतिशत की दर पर ₹ 8.49 करोड़ का कर का उदग्रहण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.83 करोड़<sup>4</sup> के कर का अल्प उदग्रहण हुआ।

मामला सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2021); सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में नोटिस जारी किये गये तथा एक मामले में ₹ 1.24 लाख की वसूली की गई थी।

सरकार मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के लिए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र निर्मित करने पर विचार करें।

## 2.5 सांविधिक फार्मों के बिना रियायत प्रदान करना

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य एवं दोषपूर्ण सांविधिक फार्म की स्वीकृति तथा अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर की छूट के परिणामस्वरूप ₹ 2.38 करोड़ का अल्प उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.36 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 में अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के मामले में नियत फार्मों को प्रस्तुत करने पर निश्चित कर छूट प्रदान करने का प्रावधान है। ये फार्म तीन भागों अर्थात् मूल, प्रतिलिपि तथा प्रतिवर्ण में जारी किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय<sup>5</sup> द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि कर की रियायती दर का दावा करने के लिए जारी करने की तिथि, लेन-देन का विवरण, बेचने एवं खरीदने वाले व्यापारियों का नाम, फॉर्म का मूल्य एवं अवधि जिससे ये फॉर्म संबंधित हैं आदि जैसे पूर्ण विवरण मूल फार्मों में सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

### फॉर्म 'सी'

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 निर्धारित करती है कि अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, व्यापारी को कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए क्रेता से प्राप्त फॉर्म 'सी' प्रस्तुत करना होगा अन्यथा पूरी दर पर कर का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, एक एकल फॉर्म 'सी' केवल एक तिमाही के लेन-देन को शामिल करने के लिए होता है।

2019-20 में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि राज्य कर एवं आबकारी के चार जिला आयुक्तों<sup>6</sup> में, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि 2009-10 से 2016-17 के लिए ₹ 46.06 करोड़ के सकल टर्न ओवर वाले छः व्यापारियों के कर निर्धारण (17 अगस्त से 19 फरवरी के मध्य) को अंतिम रूप देते हुए अमान्य फार्म 'सी' के आधार पर ₹ 2.75 करोड़ की बिक्री पर रियायती दर की अनुमति दी।

<sup>4</sup> बदी: ₹ 2.21 करोड़; नाहन: ₹ 0.13 करोड़; नूरपुर (कांगड़ा): ₹ 0.22 करोड़ और सोलन ₹ 0.27 करोड़।

<sup>5</sup> आयुक्त बिक्री कर बनाम मेसर्स प्रभु दयाल प्रेम नारायण (1988) 71 एसटीसी (एससी) और दिल्ली ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त (1997) 104 एसटीसी 75 (एससी)।

<sup>6</sup> आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी: नाहन (एक मामला: ₹ 16.85 लाख), नूरपुर (तीन मामले: ₹ 5.29 लाख), शिमला (तीन मामले: ₹ 1.34 लाख) और सोलन (एक मामला: ₹ 2.84 लाख)

ये फार्म या तो प्रासंगिक अवधि से संबंधित नहीं थे, या एक तिमाही से अधिक के लेन-देन को एक ही फार्म में शामिल किया गया था। इन फार्म को निर्धारण के समय अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। इसके बजाय, निर्धारण प्राधिकारी ने इन अयोग्य फॉर्म 'सी' के आधार पर ₹ 2.75 करोड़ की बिक्री पर डेढ़ प्रतिशत या दो प्रतिशत की रियायती दर पर ₹ 4.58 लाख का कर लगाया, जबकि चार, पांच एवं 13.75 प्रतिशत की दर से ₹ 30.90 लाख का कर उदग्रहित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.31 लाख के कर का अल्प उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 22.52 लाख का ब्याज उदग्रहित किया जाना भी अपेक्षित था।

### फॉर्म 'एफ'

केंद्रीय बिक्री कर नियमावली 1957, के साथ पठित, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8, में प्रावधान है, कि शाखा हस्तांतरण / खेप की बिक्री की स्थिति में पंजीकृत व्यापारी को कर में छूट दी जाएगी, बशर्ते ये घोषणा फॉर्म 'एफ' द्वारा समर्थित हों। इसके अतिरिक्त, एक एकल फॉर्म 'एफ' केवल एक कैलेंडर माह के लेन-देन को शामिल करने के लिए होता है।

दो उपायुक्त<sup>7</sup> राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की संवीक्षा (2019-20) से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने कर अवधि 2009-10 से 2017-18 के लिए छः व्यापारियों, जिनका सकल टर्नओवर ₹ 236.97 करोड़ था, के निर्धारण (मई 2018 से नवंबर 2018 के मध्य) को अंतिम रूप देते समय फॉर्म 'एफ' में दी गई घोषणा के आधार पर ₹12.65 करोड़ के स्टॉक स्थानांतरण पर ₹ 62.99 लाख की कर की छूट अनुमत की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण के समय इन फॉर्म 'एफ' को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि एक एकल फॉर्म में एक से अधिक कैलेंडर माह के लेन-देनों को शामिल किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.99 लाख के कर का उदग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 66.96 लाख के ब्याज का उदग्रहण भी अपेक्षित था।

### फॉर्म 'एच'

केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण व टर्नओवर) नियमावली, 1957 के नियम 12(10) के साथ पठित केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 5 के तहत, यदि व्यापारी भारतीय भूखण्ड से बाहर वस्तुओं के निर्यात करने पर उन वस्तुओं के निर्यात के प्रमाण के साथ विधिवत् रूप से भरा एवं निर्यातक द्वारा हस्ताक्षरित फार्म 'एच' जमा करता है, तो उसे कर का भुगतान नहीं करना होगा।

2019-20 में दो उपायुक्त<sup>8</sup> राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कर अवधि 2012-13 से 2014-15 के लिए दो व्यापारी जिनका सकल टर्नओवर ₹65.65 करोड़ था, के निर्धारणों को अंतिम रूप (जून 2018 एवं फरवरी 2019 के मध्य) देते समय, निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 28.64 करोड़ के स्टॉक के निर्यात पर ₹ 1.43 करोड़ के कर की छूट अनुमत की। एक मामले में कोई फार्म 'एच' नहीं मिला एवं तीन मामलों में फाइल में निर्यात के सबूत के रूप में लदान पत्र (बिल ऑफ लैडिंग) नहीं मिला। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ के कर का उदग्रहण नहीं हुआ। साथ ही, ₹ 1.42 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

<sup>7</sup> आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बड़ी (चार मामले: ₹ 46.98 लाख) व सोलन (तीन मामले: ₹ 16.01 लाख)

<sup>8</sup> आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बड़ी (एक मामला: ₹ 0.04 करोड़) और शिमला (तीन मामले: ₹ 1.39 करोड़)

## फॉर्म 'डी'

केंद्रीय बिक्री कर नियमावली 1970 के नियम 6 (21) (ए) के तहत, एक व्यापारी को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 (1) (ए) के तहत सरकार को की गई बिक्री के लिए फॉर्म 'डी' जमा करना होता है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची "ए" भाग II के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार को की गई ऐसी वस्तुओं की बिक्री, पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाएगा बशर्ते प्रमाण-पत्र फॉर्म-'डी' में प्रस्तुत किया गया हो।

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी शिमला के अभिलेखों की संवीक्षा (2019-20) में पाया गया कि एक व्यापारी जिसका सकल कारोबार कर अवधि 2012-13 से 2017-18 में ₹ 4.38 करोड़ था, के निर्धारण (जून 2018) को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण प्राधिकारी ने घोषणा फॉर्म 'डी' के बिना सरकारी बिक्री राशि ₹ 65.46 लाख पर ₹ 5.72 लाख की कर की छूट अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.72 लाख के कर का उदग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 19 (2) के तहत ₹ 5.16 लाख का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अमान्य एवं दोषपूर्ण सांविधिक फार्मों को अस्वीकार करने में विफलता ₹ 2.38 करोड़ के कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 2.36 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहणयोग्य था।

मामला जून 2021 में सरकार को सूचित किया गया था; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये थे तथा आठ मामलों में ₹ 1.35 लाख की वसूली की गई थी।

सरकार विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करें कि व्यापारियों के किसी भी निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, रियायती दरों की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यापारियों ने संबंधित अनिवार्य फॉर्म जमा कर दिए हैं एवं अधिसूचना में दी गई शर्तों को पूरा कर लिया है।

## 2.6 टर्नओवर का गलत निर्धारण

निर्धारण अधिकारियों ने वास्तविक टर्नओवर से सकल टर्नओवर का कम आंकलन किया जैसा कि व्यापारियों के प्रमाणित लेखाओं में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 (V) (zd) के अनुसार, "टर्नओवर" का तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गई बिक्री, खरीद एवं बिक्री एवं खरीद के किसी भाग तथा वस्तुओं वितरण के पूर्व या वितरण के समय व्यापारी द्वारा लगाया गया भाड़ा, भंडारण, विलंब शुल्क, बीमा जो भी किया गया हो के कुल प्रभार को जोड़ कर बनी सकल राशि से है। इसके अतिरिक्त, धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक महीने की अवधि के लिए देय कर पर एक प्रतिशत की दर से एवं उसके बाद, बकाया/चूक जारी रहने तक प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।



छ: उपायुक्त<sup>9</sup> राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2019 से मार्च 2020 के बीच) से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2010-11 से 2016-17 के 11 मामलों के निर्धारण (2018-19) को अंतिम रूप देते समय ₹ 343.27 करोड़ का कम सकल टर्नओवर निर्धारित किया जैसा कि निर्धारिती द्वारा उनके रिटर्न में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि प्रस्तुत प्रमाणित लेखाओं या व्यापारियों/ठेकेदारों के फॉर्म STXI-B<sup>10</sup> के अनुसार, इसके बजाय ₹ 371.27 करोड़ के सकल टर्न ओवर का निर्धारण किया जाना चाहिए था। तथापि, निर्धारण के लिए कम सकल टर्नओवर लेने का कोई स्पष्टीकरण निर्धारण आदेशों में नहीं पाया गया। इस प्रकार, ₹ 28 करोड़ के सकल टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ जिसके कारण ₹ 1.40 करोड़ (न्यूनतम 5 प्रतिशत की दर पर परिकलित) कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, सकल टर्नओवर की गलत रिपोर्टिंग एवं इसके परिणामस्वरूप व्यापारियों द्वारा कर के भुगतान में चूक के कारण धारा 19 के तहत ₹ 1.75 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (जून 2021); सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यवसायियों को नोटिस जारी किये गये थे एवं तीन मामलों में ₹ 2.76 लाख की वसूली की गई थी।

सरकार टर्नओवर की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने एवं व्यापारियों के प्रमाणित लेखाओं के साथ वार्षिक कर रिटर्न की प्रति-जांच करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार करें एवं सरकारी राजस्व की हानि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

## 2.7 ठेकेदारों के मामलों में मजदूरी प्रभारों की अमान्य कटौती एवं अधिक कटौती अनुमत करना

**मजदूरी प्रभारों के प्रति अमान्य कटौती एवं अधिक कटौती अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। साथ ही ₹ 1.41 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।**

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम (17) (4) (ए) में प्रावधान है कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में सम्मिलित सामग्री का मूल्य सम्पूर्ण कार्य अनुबंध के मूल्य में से श्रम एवं सेवाओं के लिए किए गए भुगतान, श्रमिकों के लिए उप-ठेकेदार को किया गया भुगतान, योजना बनाने के लिए प्रभार, डिजाइनिंग एवं वास्तुकार (आर्किटेक्ट) फीस, मशीनरी एवं उपकरण का किराया, पानी, बिजली एवं ईंधन जैसे उपभोग्य सामग्रियों की लागत, ठेकेदार की स्थापना की लागत एवं ठेकेदार द्वारा श्रम एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अर्जित लाभ जैसा कि इसमें विनिर्दिष्ट है, के घटकों को घटाकर किया जायेगा। नियम 69(2) में प्रावधान है कि जहां विनिर्माण कार्य के ठेकेदारों के लेखाओं से मजदूरी प्रभार निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या अनुबंध की प्रकृति को देखते हुए यह अनुचित रूप से अधिक

<sup>9</sup> उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त-बढ़ी: तीन मामले, ₹ 26.03 लाख; कांगड़ा: दो मामले, ₹ 3.35 लाख; नूरपुर: एक मामला, ₹ 66.82 लाख; शिमला: दो मामले, ₹ 1.34 लाख; नाहन में सिरमौर: एक मामला, ₹ 2.11 लाख; और सोलन: दो मामले, ₹ 40.37 लाख।

<sup>10</sup> कार्य प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा कार्य ठेकेदारों को उनके टीडीएस (कार्य अनुबंध कर) को प्रमाणित करने के लिए दिया जाता है।

प्रतीत होता है, निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रभार की कटौती की अनुमति उक्त नियमों में उस प्रकार के अनुबंध के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार दी जाएगी। इसके आगे, हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक माह की अवधि हेतु देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

### I. अमान्य कटौतियां -

2019-20 में चार<sup>11</sup> उपायुक्त राज्य एवं कर आबकारी के अभिलेखों की जांच से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने 2005-06 से 2017-18 तक की कर अवधि के लिए 20 कार्य ठेकेदारों के निर्धारण (2018-19) को अंतिम रूप देते हुए ₹ 19.03 करोड़ की विविध कटौतियां<sup>12</sup> अनुमत की थी। उक्त नियम 17(4) सकल टर्नओवर निर्धारित करने में एक विनिर्माण ठेकेदार को दी जाने वाली कटौती को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करता है। हालांकि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनुमत कटौती नियम 17 (4) के तहत अस्वीकार्य थी। निर्धारण आदेशों में नियमों के उल्लंघन करते हुए ऐसी कटौतियों की अनुमति देने के कारण नहीं पाए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.17<sup>13</sup> करोड़ से कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, अमान्य कटौतियां एवं उसके कारण व्यापारियों द्वारा देय कर के भुगतान में चूक के कारण ₹ 1.34 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

### II. मजदूरी प्रभारों के प्रति अधिक कटौती

उपायुक्त राज्य एवं कर आबकारी शिमला के अभिलेखों की जांच से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2008-09 से 2017-18 के लिए चार व्यापारियों के निर्धारण (2018-19) को अंतिम रूप देते समय ₹ 12.62 करोड़ के मजदूरी प्रभारों की अधिक कटौती की अनुमति दी, जबकि प्रमाणित लेखाओं के अनुसार इन व्यापारियों के मजदूरी प्रभार केवल ₹10.92 करोड़ थे। ₹ 1.70 करोड़ के इस अंतर के परिणामस्वरूप ₹ 16.49 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। साथ ही ₹ 7.88 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

इस प्रकार, अमान्य कटौतियों की अनुमति एवं मजदूरी प्रभारों के गैर-सत्यापन के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ (₹ 1.17 करोड़ + ₹ 16.49 लाख) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

ये इंगित किए जाने पर मामले उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी (कुल्लू, शिमला एवं ऊना) ने सूचित किया कि नियम/अधिनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी (कुल्लू) ने नौ मामलों में आपत्तियों को स्वीकार किया एवं आश्वासन दिया कि पुनर्निर्धारण के बाद अनुपालन की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

<sup>11</sup> कुल्लू, मंडी, शिमला और ऊना।

<sup>12</sup> डब्ल्यूसीटी पर प्रशासनिक शुल्क, वाहन चलाने और रखरखाव शुल्क, राज्य में खरीदी गई सामग्री, वैट के साथ रॉयल्टी, मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, यात्रा व्यय, श्रम उपकरण आदि पर टीडीएस।

<sup>13</sup> उद्ग्रहण योग्य कर = अमान्य कटौती x कर की दर (न्यूनतम) कुल्लू: छह मामलों, ₹ 4.17 लाख; मंडी : चार मामलों, ₹17.05 लाख; शिमला : 46 मामलों, ₹ 85.76 लाख; ऊना: 10 मामलों, ₹10.58 लाख।

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी (मंडी) ने उत्तर दिया कि चार मामलों में, हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 6 के तहत सकल टर्नओवर से स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) काटी गई थी एवं इसके अतिरिक्त सकल टर्नओवर से कटौती के संबंध में मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में निर्णय का हवाला दिया। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी मण्डी का उत्तर प्रासंगिक नहीं था क्योंकि सकल टर्नओवर पर सभी स्वीकार्य कटौतियां हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के नियम 17(4) में विनिर्दिष्ट हैं एवं इसमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की अनुमति का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त, लार्सन एंड टुब्रो प्रकरण फ्लैटों की बिक्री पर कर से संबंधित है एवं इसमें सकल टर्नओवर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए किसी भी कटौती का उल्लेख नहीं है।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (अगस्त 2019 से जून 2020 के बीच); सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये तथा पांच मामलों में ₹ 7.84 लाख की वसूली की गई।

सरकार व्यापारियों के निर्धारणों की सावधानीपूर्वक जांच करने एवं मजदूरी प्रभारों की अमान्य कटौती व अधिक अनुमति को रोकने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करें पर विचार करें।

## 2.8 शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अमान्य अनुमति

शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता ₹ 87.03 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमान्य अनुमति के रूप में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.24 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11(4) में प्रावधान है कि उप-धारा में कुछ भी निहित होते हुए भी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति केवल उस सीमा तक दी जाएगी, जहां तक अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री के माध्यम के अतिरिक्त राज्य से बाहर भेजे गए माल की खरीद पर राज्य में भुगतान किये गए कर की इनपुट कर राशि चार प्रतिशत से अधिक हो। धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा एवं उसके बाद बकाया जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा।

पांच उपायुक्त<sup>14</sup> राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (2017-19) से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2006-07 से 2016-17 के लिए 11 व्यापारियों के निर्धारणों (जुलाई 2017 एवं मई 2019 के मध्य) को अंतिम रूप देते समय शाखा हस्तांतरण के रूप में भेजे गए माल पर ₹ 3.68 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जबकि उक्त धारा 11(4) के अनुसार, निर्धारण प्राधिकारियों से शाखा द्वारा हस्तांतरित माल में शामिल इनपुट टैक्स क्रेडिट के चार प्रतिशत को अस्वीकार करना अपेक्षित था। स्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 2.81 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप

<sup>14</sup> बदी, नाहन, नूरपुर (काँगड़ा), सोलन एवं ऊना

इनपुट टैक्स क्रेडिट के ₹ 0.87 करोड़ का अधिक लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति के परिणामस्वरूप कर के अवनिर्धारण के कारण, अधिनियम की धारा 19 के तहत ₹ 1.24 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

मामला मार्च 2021 में सरकार को सूचित किया गया था; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये थे तथा दो मामलों में ₹ 5.39 लाख की वसूली की गई थी।

विभाग इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन करते समय अयोग्य मदों पर उचित ध्यान देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करें।

## 2.9 कर की अतिरिक्त मांग पर ब्याज का अल्प/अनुद्ग्रहण

निर्धारण प्राधिकारियों ने सृजित अतिरिक्त मांग पर उद्ग्रहणीय ₹ 72.02 ब्याज के बजाय ₹ 17.38 लाख का ब्याज उद्ग्रहित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 54.64 लाख का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा एवं उसके बाद बकाया जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा।

दो उपायुक्त<sup>15</sup> राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की जांच (मई 2019 से दिसंबर 2019 के बीच) से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने 2009-10 से 2016-17 की कर अवधि के लिए 15 व्यापारियों के निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 84.02 लाख की अतिरिक्त कर की मांग की। निर्धारण प्राधिकारियों ने 14 से 98 महीनों की अवधि के लिए अर्थात् निर्धारण की तिथि तक ₹ 72.02 लाख के उद्ग्रहणीय ब्याज के प्रति 12 से 35 महीने की अवधि के लिए ₹ 17.38 लाख का ब्याज उद्ग्रहित किया। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि विभाग ने चार मामलों में ब्याज नहीं लगाया। इस प्रकार, ₹ 54.64 लाख<sup>16</sup> (₹ 72.02 लाख - ₹ 17.38 लाख) के ब्याज का अल्प/अनुद्ग्रहण हुआ।

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण आदेशों में ब्याज के अल्प/अनुद्ग्रहण के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने 2011-12 से निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी प्रकार की कमियों को इंगित किया है, तथापि विभाग ने निर्धारणों की नमूना-जांच करने की कोई कार्रवाई नहीं की, जो राजस्व हानि की सुरक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये तथा तीन मामलों में ₹ 16.27 लाख की वसूली की गई।

<sup>15</sup> आयुक्त राज्य कर एवं बंदी एवं नाहन

<sup>16</sup> उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बंदी: ₹ 11.06 लाख और नाहन में सिरमौर: ₹ 43.58 लाख।

सरकार विभाग को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने एवं किसी भी निर्धारण को अंतिम रूप देने से पहले उचित जांच करने व दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करें।

### 2.10 बिक्री तथा स्टॉक को छिपाना

वार्षिक रिटर्न में ₹ 4.55 करोड़ की बिक्री एवं अंत स्टॉक को कम करके दिखाने से ₹32.82 लाख के कर का अपवंचन हुआ। परिणामस्वरूप अपवंचित कर पर ₹ 25.89 लाख का ब्याज एवं ₹ 32.82 लाख की शास्ति भी देय रही।

हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 (8) में प्रावधान है कि यदि किसी व्यापारी ने अपनी बिक्री, खरीद या माल के स्टॉक को छिपाने के उद्देश्य से झूठे या गलत लेखे बनाए हैं या किसी भी प्रकार से झूठा या गलत रिटर्न प्रस्तुत किया है, तो वह देय कर की दोगुनी राशि तक शास्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा जो कि देय कर राशि के 100 प्रतिशत से कम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 6(1)(ए) की अनुसूची ए के अनुसार, स्ट्रैप की बिक्री पर कर पांच प्रतिशत की दर से देय है।

मई 2019 से फरवरी 2020 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि :

i. राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क के तीन उपायुक्त<sup>17</sup> राज्य कर एवं आबकारी में, ₹ 794.93 करोड़ के संचयी सकल टर्नओवर वाले 12 व्यापारियों ने 2010-11 से 2016-17 के बीच प्रस्तुत 18 वार्षिक रिटर्न में ₹ 2.98 करोड़ की बिक्री का प्रकटीकरण नहीं किया था, जिन्हें उनके व्यापार, लाभ एवं हानि लेखाओं में संपत्ति (वाहन, संयंत्र एवं मशीनरी) की बिक्री के रूप में अन्यथा दर्शाया गया था। इस बिक्री पर हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची 'ए' के तहत न्यूनतम पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, ₹ 14.88<sup>18</sup> लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ था। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत ₹ 16.51 लाख का ब्याज, एवं धारा 16 (8) के तहत ₹ 14.88 लाख की शास्ति भी उद्ग्रहण योग्य थी।

ii. दो उपायुक्त<sup>19</sup>, राज्य कर एवं आबकारी में, 2013-14 से 2016-17 के मध्य कर वर्षों में ₹ 20.51 करोड़ के संचयी सकल टर्नओवर वाले दो व्यापारियों ने अपने संबंधित वार्षिक रिटर्न में ₹ 98.89 लाख का प्रारंभिक स्टॉक घोषित किया था, लेकिन उनके तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों के प्रमाणित लेखाओं में ₹ 2.56 करोड़ का अंत स्टॉक था। कर अवधि के दौरान उनके अंत एवं आरंभिक स्टॉक में कुल ₹ 1.57 करोड़ का अंतर था, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 16(8) के तहत माल के स्टॉक को छिपाने के समान था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के समय इन विवरणों की जांच करना अपेक्षित था क्योंकि सभी अभिलेख उपलब्ध थे। छिपाए गये सकल टर्नओवर पर प्रयोज्य न्यूनतम कर की दर लागू करने पर ₹ 17.94 लाख<sup>20</sup> मूल्य के कर का अवनिर्धारण पाया गया। इसके अतिरिक्त, उक्त

<sup>17</sup> उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बड़ी, नाहन और शिमला।

<sup>18</sup> बड़ी: आठ मामले, 9.94 लाख; नाहन: चार मामले, ₹ 4.00 लाख और शिमला: छः मामले, ₹ 0.94 लाख।

<sup>19</sup> उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: मंडी, शिमला।

<sup>20</sup> उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: मंडी: एक मामला, ₹ 17.83 लाख एवं शिमला: एक मामला, ₹ 0.11 लाख।

अधिनियम की धारा 19 के तहत ₹ 9.38 लाख का ब्याज, एवं उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 (8) के तहत ₹ 17.94 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उदग्रहण योग्य थी।

इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्धारण में ₹ 4.55 करोड़ (₹ 2.98 करोड़ + ₹ 1.57 करोड़) मूल्य की बिक्री एवं स्टॉक को छुपाने को पहचानने में उचित सावधानी की कमी के परिणामस्वरूप व्यापारियों को अनुचित लाभ हुआ एवं ₹ 32.82 लाख (₹ 14.88 लाख + ₹ 17.94 लाख) के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, धारा 16(8) के तहत ₹ 32.82 लाख (₹ 14.88 लाख + ₹ 17.94 लाख) की शास्ति एवं धारा 19 के तहत ₹ 25.89 लाख (₹ 16.51 लाख + ₹ 9.38 लाख) का ब्याज तब से अपवंचित कर पर देय हो गया है।

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान कर एवं ब्याज की गणना के लिए व्यापारियों के टैक्स रिटर्न के साथ प्रमाणित लेखाओं की प्रति-जांच नहीं की, जबकि विभाग के पास सभी अभिलेख उपलब्ध थे। विगत दो वर्षों के राज्य राजस्व पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस मुद्दे/विषय को चिह्नंकित किया गया है, अतः इस स्थिति का बने रहना इसकी जानबूझकर अवहेलना को दर्शाता है।

यह मामला जनवरी 2021 में सरकार को सूचित किया गया था; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये थे।

सरकार मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के लिए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाने पर विचार करें।